

22.08.2022:—आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता श्री राजेशदीपराय द्वारा प्रार्थना-पत्र धारा 151 व 152 सी.पी.सी. मय दस्तावेजात प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना-पत्र में कथन किया गया की प्रकरण में दिनांक 02.08.2022 को डिक्री पारित की गई थी। जिसमें लिपिकिय त्रुटि हुई है जो दुरुस्त की जानी न्यायोचित है। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना-पत्र धारा 151 व 152 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर संशोधित डिक्री अलग से लिखवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।